

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

उद्देश्य

- (अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- (ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यावसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
- (स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।
- (द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।
- (ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।
- (न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।

(प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना ।

(फ) आवंटियों को सम्पत्ति के लिए वांछित ऋण उपलब्ध कराना ।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे-विद्युत- आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है । इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित हो सके ।

परिषद जन-साधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त सहकारी समितियों एवं सार्वजनिक संस्थाओं को भी आवासीय भवन एवं विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराती है ।

परिषद की योजनाओं में सम्पत्ति के प्रदेशन के लिये पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा ।



कामदगिरी एन्कलेव सेक्टर-19

वृन्दावन योजना संख्या-4

रायबरेली रोड, लखनऊ

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ पेश करते हैं आवासीय सुविधाओं से सुसज्जित अति विशिष्ट उपनगरी वृन्दावन योजना में स्ववित्त पोषित बहुमंजिली (स्टिल्ट + 7) आवासीय परियोजना-2016 के अन्तर्गत फ्लैट्स प्राप्त करने का सुनहरा अवसर।

कामदगिरी एन्कलेव सेक्टर-19 में स्थित है। इस परियोजना में F-84 प्रकार के 2 BHK फ्लैट्स का निर्माण प्रस्तावित फ्लैट्स में कवर्ड एरिया 71.76 वर्गमी. व सुपर एरिया 84.05 वर्गमी।

इस योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को उनकी क्रय सार्वथ्यानुसार उच्च गुणवत्ता वाले अफोर्डेबल फ्लैट्स उपलब्ध कराना है। लोकेशन परियोजना की मुख्य विशेषता रायबरेली रोड के निकट होना।

टाउनशिप की प्रमुख विशेषताएं

- 'Integrated Planning and Design' के आधार पर परिकल्पित।
- कुल भू-भाग का 65 प्रतिशत भाग खुले रस्थल और ग्रीनरी के लिए प्रयुक्त तथा 35 प्रतिशत पर निर्माण।
- एनट्रेन्स गेट/प्लाजा तथा सभी सेक्टर्स में सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यकतानुसार गेट का प्राविधान।
- टाउनशिप में फाइव स्टार होटल, मल्टीप्लेक्स / शॉपिंग माल, सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल, उच्च स्तरीय तकनीकी / प्रबंधन संस्थानों हेतु समुचित व्यवस्था।
- उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के आधार पर दुर्बल आय वर्ग और अल्प आय वर्ग के लिए टाउनशिप के अन्दर ही आवासीय योजनाएं।
- टाउनशिप की चौड़ी सड़कों, बड़े चौराहों, रेलवे ओवरब्रिज के द्वारा सुल्तानपुर रोड, रायबरेली रोड, वृन्दावन योजना, गोमती नगर विस्तार योजना, पी.जी.आई., एयरपोर्ट आदि से सीधी कनेक्टिविटी।
- सम्पूर्ण टाउनशिप में विद्युतीकरण, ड्रेनेज व्यवस्था।
- योजना रायबरेली रोड पर बायें स्थित तथा 45 मी. रोड से अवधि विहार योजना होते हुए सुल्तानपुर रोड एवं रायबरेली रोड से सीधी कनेक्टिविटी।

FRONT ELEVATION F-84 TYPE OF FLATS



F-84 UNIT PLAN (TYPE-I)

2BHK 2 TOILETS, 2 BALCONIES

COVERED AREA = 71.76 Sq M

SUPER AREA = 84.05 Sq M



UNIT PLAN

F-84 UNIT PLAN (TYPE-II)

2BHK 2 TOILETS, 2 BALCONIES

COVERED AREA = 71.76 Sq M

SUPER AREA = 84.05 Sq M



UNIT PLAN


F-84 CLUSTER PLAN
2BHK 2 TOILETS, 2 BALCONIES
COVERED AREA = 71.76 Sq M
SUPER AREA = 84.05 Sq M



CLUSTER PLAN



F-84 ISOMETRIC VIEW



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद् द्वारा वृन्दावन योजना के कामदण्डिरि एन्डलेट के (S + 7) बहुमंजिले आवासीय प्लैट्स का विवरण

क्र.सं.	फ्लैट का प्रकार	सुपर एरिया (वर्ग.मी.)	आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग. मी.)	प्राविधान
1.	F-84	84.05	71.76	1 ड्राइंग कम डायनिंग रूम, 2 बेडरूम, 1 किचन, 2 ट्वायलेट, 2 बालकनी।

क्र.सं.	फ्लैट का प्रकार	फ्लैट्स की संख्या	सुपर एरिया (वर्गमी.)	प्रस्तावित विक्रय मूल्य (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु. लाख)	चयन के पश्चात मांग पत्र निर्गत करने के 60 दिन के अन्दर देय धनराशि (रु लाख में)	अवशेष भुगतान 12 त्रैमासिक किश्तों में (प्रत्येक किश्त की धनराशि) (रु. लाख में)
1.	F-84	448	84.05	33.50	1.70	4.80	2.25

1. प्लैट्स की विशिष्टियां

- स्ट्रक्चर** : भूकम्परोधी निर्माण
- फर्श** : ड्राइंग-डायनिंग एवं बेडरूम, विट्रीफाइड टाइल्स तथा कामन क्षेत्र में कोटा स्टोन।
- ट्वायलेट** : फर्श पर ऐन्टी स्किड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल्स।
- किचन** : कुकिंग प्लेटफार्म पर ग्रेनाइट/प्लेटफार्म के ऊपर सेरेमिक टाइल्स तथा स्टेनलेस स्टील का सिंक।
- चौखट** : चौखट मलेशिया सालवुड।
- दरवाजे** : मुख्य दरवाजा डिजाइनर डोर शटर एवं शेष आई.एस.आई. मार्क फलश डोर शटर्स। बाथरूम में पी.वी.सी. शटर्स।
- खिड़कियां** : एल्यूमीनियम चौखट/शटर्स, ग्रिल ग्लास एवं मच्छर जाली सहित।
- डोर/विंडो फिटिंग्स** : आई.एस.आई. मार्क एल्यूमीनियम फिटिंग्स।
- रंग-रोगन** : अन्य दीवारों तथा छत पर आयल बाउण्ड डिस्ट्रेम्पर, बाहरी सतह पर वाटर प्रूफ बेदर कोट फिनिंशिंग, दरवाजों पर एनामिल पेन्ट/पालिश।
- जलापूर्ति** : सभी फ्लैट हेतु छत पर आर.सी.सी. का संयुक्त टैक।
- विद्युत** : अग्निरोधक पी.वी.सी. कापर कन्सील्ड वायरिंग एवं गीजर व ए.सी. प्वाइन्ट का प्राविधान।
- स्टेयर केस** : कोटा स्टोन, एम.एस. आयरन पाइप रेलिंग।
- लिफ्ट** : प्रत्येक ब्लाक में 02 नग लिफ्ट।
- पावर बैकअप** : कारीडोर+लिफ्ट हेतु।

- 5.5 यदि कोई आवेदक निर्धारित तिथि से 3 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के की जायेगी।
- 5.6 नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग / निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क, गृहकर, जलकर, आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।
- 5.7 पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान अधिकृत बैंक में नगद/पे—आर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट से किश्त जमा करने की दशा में UPHDB (SFS-2016) Phase-I LUCKNOW के नाम पे आर्डर/बैंक ड्राफ्ट जो सम्बन्धित शहर में देय हो, मांग—पत्र में अधिकृत बैंक को पंजीकरण संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम फ्लैट की श्रेणी आदि विवरण सहित जमा करना होगा।

6. आवंटन नियम :

- 6.1 परिषद/शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण पात्रता ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।
- 6.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध फ्लैट्स की संख्या से अधिक होने पर लाटरी के आधार पर पात्र आवेदकों का चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के नियमानुसार बैंक द्वारा ही वापस कर दी जायेगी।
- 6.3 योजना में प्रस्तावित फ्लैट से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में आवेदकों के नाम की पर्चियों को एक साथ डालकर लाटरी द्वारा फ्लैट की उपलब्धता के अनुसार पात्रता निर्धारित की जायगी।
- 6.4 आवंटन के समय या उससे पहले व बाद में आवेदक का परिवर्तन के विषय में कोई दावा मान्य परिवर्तनीय नहीं होगा।
- 6.5 समस्त चयनित आवेदक/पात्र समान होंगे। उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार चयन हो जाने के उपरान्त लाटरी पद्धति से ही निर्माणाधीन अवस्था में फ्लैट की संख्या का आवंटन किया जायेगा।

- 6.6 सामान्यतः पंजीकरण एवं पात्रता चयन/आवंटित फ्लैट्स का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों/परिस्थितियों में व आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित फ्लैट का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरुद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन आवास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन फ्लैट का विक्रय विलेख—निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा।
- 6.7 कारपोरेट सेक्टर अथवा किसी संस्था द्वारा ग्रुप में फ्लैट की मांग पर वरीयता तथा ब्लाक/टावर की मांग पर प्राथमिकता दिये जाने का विशेषाधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा।
- 6.8 उपरोक्त नियम/शर्तों के अतिरिक्त यदि कोई संशोधन आवश्यक होगा तो उक्त का विशेषाधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा।



- 11.3 यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण/आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण /फ्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डिमिनिटी बॉण्ड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा ।
- 11.4 पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषदादेशों के प्राविधान प्रभावी होंगे ।
- 11.5 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्हीं अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा ।
- 11.6 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा ।
- 11.7 सम्पत्ति का अन्तिम मूल्य प्रथम किश्त की तिथि पर लागू होगा सम्पत्ति के अनुमानित मूल्य में बाजार दर में वृद्धि होने पर वृद्धि सम्भावित है । 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवेदक यदि चाहे तो अपनी पूरी धनराशि बिना किसी कटौती के बिना ब्याज के प्राप्त कर सकता है ।
- 11.8 आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अन्तिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होंगे । भविष्य में परिषद द्वारा समय—समय पर यदि कोई नियम/शर्त लागू होगी तो वह आवेदक को मान्य होगी ।



मुरव्या परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द / शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहाँ—जहाँ वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे:—

आवेदक का परिवार :—

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी / पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

आय :—

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त श्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति / पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

भूखण्ड / भवन :—

“भवन या मकान” शब्द में : “फ्लैट” भी सम्मिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।

सम्पत्ति :—

सम्पत्ति का तात्पर्य भवन अथवा भूखण्ड से है।

विदेशी मुद्रा :—

विदेशी मुद्रा का तात्पर्य स्टलिंग पौंड, यू०एस०, डालर, जर्मन मार्क, जापानी येन, स्विस फ्रेक और दीनार से है।

चरण (पंजीकरण का खुलना) :—

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

पंजीकरण का दौर :—

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय

पंजीकरण
11 अप्रैल, 2016 से
31 मई, 2016 तक

ऑनलाइन पंजीकरण के लिए : www.upavp.com पर लाग आन करें।

परिषद के 51वें स्थापना दिवस के सुअवसर पर स्वित्त पोषित बहुमंजिली आवासीय परियोजना-2016 (प्रथम चरण) के अन्तर्गत

कामदगिरि एन्क्लेव, सेक्टर-19

वृन्दावन योजना संख्या-4

रायबरेली रोड, लखनऊ

में एफ-84 प्रकार के फ्लैट्स प्राप्त करने का सुनहरा अवसर



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226 001

Website: [https://www.upavp.com](http://www.upavp.com); E-mail: upavp@sancharnet.in



LOCATION PLAN OF VRINDAVAN YOJNA, LUCKNOW

शहर के प्रमुख स्थलों से दूरी :


- एयर पोर्ट – 8 किमी.
- हजरतगंज – 5 किमी.
- पी.जी.आई – 1 किमी.
- द्रामा सेंटर – 500 मी.
- चारबाग रेलवे स्टेशन – 8 किमी.
- शहीद पथ – 1 किमी.
- गोमतीनगर – 5 किमी.

विशेष आकर्षण

1. आकर्षक लैण्ड स्केप, पार्क एवं हरित क्षेत्र सहित 15 एकड़ का वृहद आवासीय परिसर।
2. भूकम्परोधी निर्माण।
3. विश्व प्रसिद्ध पी.जी.आई. के समुख, मात्र 1 किमी. की दूरी पर।
4. 30 मीटर एवं 18 मीटर चौड़ी सड़कों से घिरा हुआ आवासीय परिसर।
5. सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के दृष्टिगत बाउण्ड्रीवाल का प्राविधान।
6. सामान्य आवश्यक सेवाओं हेतु पावर बैंकअप का प्राविधान।
7. आवासीय परिसर में लिफ्ट, फायर सेफ्टी, आकर्षक कम्यूनिटी सेन्टर एवं व्यवसायिक सुविधाओं का प्राविधान।

COMBINED LAYOUT PLAN OF ALL SECTORS FOR VRINDAVAN
TOWNSHIP, SCHEME NO.-1,2,3 & 4, LUCKNOW.

NOTE : THIS LAY-OUT PLAN IS FOR PRESENTATION
ONLY NOT FOR EXECUTION PURPOSE OR ANY
OTHER USE.



INDEX-
VILLAGE KALLI WEST BOUNDARY



शहरी विकास में एक कीर्तिमान

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

जहां सब होते अपने घर के सपने

स्वर्ण जयन्ती मना चुके
निर्माण-गुणवत्ता एवं भव्यतेका प्रतीक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ-226 001

Website: <https://www.upavp.com>; E-mail: upavp@sancharnet.in

परिषद ने ग्राहकों की
शिकायतों व समस्याओं के निर्दारण के लिए
जन-सुविधा केन्द्र

की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत
व समस्या दर्ज करा सकते हैं। डायल करें :

1800-180-5333 (टोल-फ्री) 0522-2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे
से सांय 6.00 बजे तक उपलब्ध है।

पुस्तिका मूल्य
₹ 500 (476.20+23.80 वेट-सहित)